



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -29.03.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरबी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 09 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम - थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 175/2012 (वाद संख्या - 89/2012) धारा 302/307/452/504/34 भादवि बनाम 1. मुनेश पुत्र सरदार सिंह 2. महेश पुत्र बाबूराम 3. ज्ञान सिंह पुत्र गंगादीन 4. जितेन्द्र पुत्र गिरेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सुल्तानपुरा थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी उरई, जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण 1. मुनेश 2. महेश 3. ज्ञान सिंह 4. जितेन्द्र को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,65,000-1,65,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय - थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 188/2012 (वाद संख्या - 180/2012) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम महेश पुत्र बाबू नि0 ग्राम सुल्तानपुरा थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त महेश उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय - थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 201/2012 (वाद संख्या - 181/2012) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुनेश पुत्र सरदार नि0 ग्राम सुल्तानपुरा थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मुनेश उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ - थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 202/2012 (वाद संख्या - 182/2012) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जितेन्द्र पुत्र गिरेन्द्र नि0 ग्राम सुल्तानपुरा थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गिरेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम - कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0 803/2015 (वाद संख्या - 08/2016) धारा 147/148/452/323/504/506/307/325/394/411 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. रोहित यादव पुत्र कल्लू यादव 2. जितेन्द्र कुमार यादव (विचारण के दौरान मृत्यु) 3. धर्मेन्द्र यादव 4. सतेन्द्र यादव पुत्रगण बृजपाल यादव 5. सुरेन्द्र यादव पुत्र मजबूत सिंह 6. कल्लू उर्फ वेद नारायण पुत्र पट्टू यादव 7. लल्लू उर्फ नन्द किशोर पुत्र मेवालाल (दोष मुक्त) नि0गण ग्राम लमसर कोतवाली कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 एससी/एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. रोहित यादव पुत्र कल्लू यादव 2. धर्मेन्द्र यादव 3. सतेन्द्र यादव पुत्रगण बृजपाल यादव 4. सुरेन्द्र यादव पुत्र मजबूत सिंह 5. कल्लू उर्फ वेद नारायण पुत्र पट्टू यादव उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष का कारावास एवं 1,82,000-1,82,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।